

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 156/2019

शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी लि०,  
शाखा कार्यालय:- अजमेर  
अजमेर (राज०)-305001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर  
बनाम

- (1). श्री मानक चंद जांगिड  
पता- कुमावतो का बास, जसवंतपुरा, लेसवा, भिनय, अजमेर-305201  
दुसरा पता - प्लॉट ग्राम गोविन्दगढ, ग्राम पंचायत- गोविन्दगढ, पंचायत समिति  
पीसांगन, जिला अजमेर-305201
- (2). श्रीमती विमला  
पता - कुमावतो का बास, जसवंतपुरा, लेसवा, भिनाय, अजमेर (राज.)-305201  
.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सट्रक्शन  
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

श्री सन्दीप गोयल

अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक 14.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री मानक चंद जांगिड व श्रीमती विमला, निवासी- कुमावतो का बास, जसवंतपुरा, लेसवा, भिनय, अजमेर-305201 को दिनांक 28.03.2015 को रु 4,00,000(अक्षरे चार लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम गोविन्दगढ, ग्राम पंचायत- गोविन्दगढ, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर-305201 में स्थित प्लॉट, जो श्री मानक चंद जांगिड एवं श्रीमती विमला के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 18.02.2017 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 18.02.2017 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये 4,19,657/- (अक्षरे रुपये चार लाख उन्नीस हजार छः सौ सतावन मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है।



Atul Kumar  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ग्राम गोविन्दगढ, ग्राम पंचायत- गोविन्दगढ, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर-305201 में स्थित प्लॉट, जो श्री मानक चंद जांगिड एवं श्रीमती विमला के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को सुनाया गया।

*Atthar me*

( विश्व मोहन शर्मा )  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

